[2022] 10 एस. सी. आर 156

सुखपाल सिंह खैरा

वी.

पंजाब राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 885)

05 दिसंबर, 2022

[एस. अब्दुल नजीर, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना,

वी. रामसुब्रमणियन और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 319- अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की शक्ति-जब अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में मुकदमा चलाया जाता है

अभियुक्त समाप्त हो गया है और समन आदेश घोषित करने से पहले उसी तारीख को दोषसिद्धि का निर्णय दिया गया है-आयोजितः पावर यू/एस। 319 सजा के आदेश की घोषणा से पहले प्रयोग किया जाना चाहिए जहां अभियुक्त की दोषसिद्धि का निर्णय है-बरी होने के मामले में, बरी होने का आदेश घोषित होने से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए-दोषसिद्धि के मामले में, यू/एस के तहत समन आदेश। 319 यदि आदेश उसी दिन पारित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर इसकी जांच करनी होगी और यदि ऐसा समन आदेश दोषसिद्धि के मामले में बरी होने या सजा देने के आदेश के बाद पारित किया जाता है, तो यह टिकाऊ नहीं होगा।

एस. 319 अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की शक्ति-जब कुछ अन्य फरार अभियुक्तों के संबंध में मुकदमा चलाया जाता है (जिनके

उपस्थिति बाद में सुरक्षित है) लंबित है, जिसे विभाजित किया गया है

मुख्य मुकदमे से-आयोजितः अदालत के पास फरार आरोपी के संबंध में सुनवाई की कार्यवाही में अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति है, बशर्ते कि विभाजित (द्विभाजित) मुकदमे में दर्ज साक्ष्य के अधीन आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए समन भेजा जाना चाहिए-हालाँकि, मुख्य समाप्त मुकदमे में दर्ज साक्ष्य समन आदेश का आधार नहीं हो सकता है यदि मुख्य मुकदमे में उसके समापन तक ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

एस. 319 - जारी दिशा-निर्देशों के तहत शक्ति का प्रयोग।

निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग और प्रयोग पहले किया जाना है।

156 सुखपाल सिंह खैरा बनाम। पंजाब राज्य

वाक्य के क्रम की घोषणा जहाँ एक है

अभियुक्त के दोषसिद्धि का निर्णय। बरी होने के मामले में, बरी होने का आदेश घोषित होने से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, समन आदेश को मामले में सजा के अधिरोपण द्वारा मुकदमे के समापन से पहले होना चाहिए

दृढ़ विश्वास। यदि आदेश उसी दिन पारित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर इसकी जांच करनी होगी और यदि ऐसा समन आदेश दोषसिद्धि के मामले में बरी होने या सजा देने के आदेश के बाद पारित किया जाता है, तो यह स्थायी नहीं होगा। [पैरा 33] [186-जी-एच; 187-ए-बी] 1.2 निचली अदालत के पास अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति है जब फरार आरोपी के संबंध में उसकी उपस्थिति हासिल करने के बाद मुकदमा चलाया जाता है, जो कि विभाजित (द्विभाजित) मुकदमे में दर्ज साक्ष्य के अधीन है जो आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करता है जिसे बुलाने की मांग की गई थी। लेकिन मुख्य समाप्त मुकदमे में दर्ज साक्ष्य समन आदेश का आधार नहीं हो सकता है यदि इस तरह की शक्ति का उपयोग मुख्य मुकदमे में उसके समापन तक नहीं किया गया है। [पैरा 33] [187-सी-डी]

बरी या सजा पर आदेश पारित करने से पहले मुकदमे के किसी भी चरण में अभिलिखित, यह उस स्तर पर मुकदमे को रोक देगा। ((ii) इसके बाद न्यायालय पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने और आदेश पारित करने की आवश्यकता या अन्यथा तय करेगा।

उस पर।

((ग) यदि न्यायालय का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करना और अभियुक्त को समन करना है, तो

मुख्य मामले में मुकदमे के साथ आगे बढ़ने से पहले समन आदेश पारित किया जाएगा।

((iv) यदि अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने का आदेश पारित किया जाता है, तो उस चरण के आधार पर जिस पर इसे पारित किया जाता है, न्यायालय भी करेगा।

अपना दिमाग इस तथ्य पर लगाएं कि क्या ऐसे बुलाए गए अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जाना है या अलग से।

(v) यदि निर्णय संयुक्त परीक्षण के लिए है, तो तलब किए गए व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही नए सिरे से परीक्षण शुरू किया जाएगा। अभियुक्त।

(vi) यदि निर्णय यह है कि समन किए गए अभियुक्त पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ऐसा आदेश दिए जाने पर, कोई नहीं होगा। न्यायालय के लिए मुकदमे को जारी रखने और समाप्त करने में बाधा

उन अभियुक्तों के खिलाफ जिन पर कार्रवाई की जा रही थी।

(vii) यदि उपरोक्त (i) के अनुसार कार्यवाहियों को ऐसे मामले में रोका जाता है जहां जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें बरी किया जाना है और

फैसला यह है कि तलब किए गए आरोपी पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जा सकता है अलग से, मुख्य मामले में बरी होने का निर्णय पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी।

(viii) यदि मुख्य मुकदमे के समापन तक शक्ति का उपयोग या प्रयोग नहीं किया जाता है और यदि कोई विभाजित (द्विभाजित) मामला है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग या प्रयोग किया जा सकता है।

केवल तभी जब उस प्रभाव का सबूत हो, जो विभाजन में बुलाए जाने वाले अतिरिक्त अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इशारा करता हो

(द्विभाजित) परीक्षण।

(ix) यदि, दलीलों की सुनवाई के बाद और मामला निर्णय के लिए आरक्षित है, तो न्यायालय के लिए आह्वान करने का अवसर उत्पन्न होता है और

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालत के लिए उपयुक्त तरीका है कि इसे फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाए।

अन्यथा निर्णय लिया जाएगा और तदनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। (xi) ऐसे मामले में भी, उस स्तर पर, यदि निर्णय अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने और संयुक्त मुकदमा चलाने का है, तो मुकदमा होगा -

नए सिरे से और नए सिरे से कार्यवाही की जाए।

(xii) यदि, उस परिस्थिति में, निर्णय समन किए गए अभियुक्त के मामले में एक अलग मुकदमा आयोजित करने का है जैसा कि संकेत दिया गया है।

पहले;

(क) मुख्य मामले का निर्णय दोषसिद्धि और सजा की घोषणा करके किया जा सकता है और फिर उसके खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जा सकती है।

अभियुक्त को बुलाया गया।

(ख) बरी होने के मामले में आदेश मुख्य मामले में उस प्रभाव से पारित किया जाएगा और फिर समन के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।

अभियुक्त। [पैरा 33] [187-डी-एच; 188-ए-एच; 189-ए]

2.1 यह एस से काफी स्पष्ट है। 319 <आई. डी. 1] कि न्यायालय को दी गई शक्ति इस प्रभाव से है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किसी अपराध की जांच या मुकदमे के दौरान, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा साक्ष्य अभियुक्तों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जिन पर न्यायालय के समक्ष कोई अपराध करने का मुकदमा चलाया जा रहा है और ऐसे अभियुक्त को आरोप पत्र या मुकदमे की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। जब तक कि अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाए गए ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के लिए अभियुक्त के साथ मिलकर समन और मुकदमा चलाया जा सके। [पैरा 14] [171 ए-सी]

2.2 धारा 319 के तहत, अदालत को किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति दी गई है जो मामले में आरोपी नहीं है।

विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपराध करने में ऐसे व्यक्ति की भूमिका है। इसलिए यह होगा कि

2.3 सी. आर. पी. सी. की धारा 232 के अवलोकन से यह देखा गया है कि यदि सत्र न्यायालय ने अभिलिखित साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए पाया है कि कि अपराध करने के लिए अभियुक्त को पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, न्यायाधीश को बरी करने का आदेश दर्ज करना आवश्यक है। उस मामले में, न्यायाधीश द्वारा आगे कुछ नहीं किया जाना है और इसलिए मुकदमा उस स्तर पर समाप्त होता है। ऐसे मामलों में जहां यह यू/एस उत्पन्न होता है। 232 सी. आर. पी. सी. और बरी करने का आदेश दर्ज किया जाता है और जब एक से अधिक आरोपी या एकमात्र आरोपी होते हैं, तो 10 एस. सी. आर. होते हैं।

ऐसे मामलों में बरी कर दिया गया है, कि पर्दा खींचकर मुकदमे का अंत होने के कारण, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत विचार किए गए साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी को बुलाने की अदालत की शक्ति का उपयोग करना होगा और पहले प्रयोग करना होगा। दोषमुक्ति के निर्णय की घोषणा। उस पर नए सिरे से मुकदमा चलाते समय अलग से मुकदमा चलाया जाना है या संयुक्त मुकदमा चलाया जाना है, इस बारे में भी विचार किया जाएगा। इस तरह के आदेश के बाद मुकदमा चलाने वाले आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया जा सकता है।

इससे पहले। यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाना है, तो दोषसिद्धि का आदेश इसके माध्यम से दिया जाएगा -

यू/एस के रूप में विचार किया गया निर्णय। 235 सीआरपीसी। उप-धारा (2) यह प्रावधान है कि यदि न्यायाधीश अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा होने का लाभ देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। 360 सी. आर. पी. सी. के न्यायाधीश सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेंगे और

फिर उस पर एक सजा थोपो। [पैरा 22,23] [180-ई-एच; 181-ए बी] 2.4 दोषसिद्धि के निर्णय की घोषणा के बाद भी, मुकदमा पूरा नहीं होता है क्योंकि सत्र न्यायाधीश को उस आरोप की गंभीरता को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है जिसके लिए आरोपी दोषी पाया जाता है; विशेष आरोपी की भूमिका जब किसी अपराध में एक से अधिक आरोपी शामिल होते हैं और उस आलोक में, एक उचित सजा देने के लिए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमे की घोषणा पर मुकदमा पूरा हो गया है।

केवल दोषसिद्धि का निर्णय, हालांकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत विचार किए गए बरी होने के मामले में ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस मामले में न्यायाधीश द्वारा बरी होने के आदेश को दर्ज करने के अलावा और कुछ नहीं किया जाना है जिसके परिणामस्वरूप परीक्षण का समापन होता है। [पैरा 24] [181-एफ-एच]

2.5 आपराधिक अभियोजन में मुकदमे का समापन यदि यह दोषसिद्धि में समाप्त होता है, तो एक निर्णय को पूर्ण माना जाता है

सभी सम्मान केवल तभी होता है जब दोषी को सजा सुनाई जाती है, यदि दोषी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का लाभ नहीं दिया जाता है। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां एक से अधिक आरोपी हैं और यदि उनमें से एक या अधिक को बरी कर दिया जाता है और अन्य को बरी कर दिया जाता है

दोषी ठहराए जाने पर, बरी किए गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा और दोषी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा सजा के साथ समाप्त करना होगा।

जब सुखपाल सिंह खैरा बनाम। पंजाब राज्य

2.6 मामले के उस दृष्टिकोण में, यदि न्यायालय मुकदमे की प्रक्रिया में दर्ज साक्ष्य से पाता है कि कोई अन्य व्यक्ति है शामिल, धारा 319 के तहत आरोपी को समन करने की ऐसी शक्ति

नए सिरे से शुरू किया जाएगा और अतिरिक्त अभियुक्त की उपस्थिति में गवाहों से फिर से पूछताछ की जाएगी। ऐसे मामले में जहां सत्र न्यायाधीश गवाहों के साक्ष्य को दर्ज करने के बाद या दोषसिद्धि का निर्णय सुनाने के बाद लेकिन सजा सुनाए जाने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, वही साक्ष्य जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। सी. आर. पी. सी. की धारा 273 को देखते हुए नए जोड़े गए अभियुक्त के खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता है। आरोपी के खिलाफ, जिसे बाद में तलब किया गया है, एक नया मुकदमा चलाया जाना है। हालांकि इस दौरान

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन पर विचार करते हुए, यदि सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय पारित करने या सजा पर आदेश पारित करने से पहले अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने का निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय सुनाकर मुकदमे के समापन को रोकने की आवश्यकता होती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन का निपटारा करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही निर्णय के निष्कर्ष, या तो अदालत के समक्ष मौजूद अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग परीक्षण के समापन से पहले ही पारित करके किया जा सकता है दोषसिद्धि और सजा का निर्णय। [पैरा 28] [184-बी-जी]

2.7 यद्यपि सी. आर. पी. सी. की धारा 319 में यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति

उप-धारा (1) के अनुसार तलब किए जाने पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है [2022] 10 एस. सी. आर.

शक्ति को ध्यान में रखते हुए अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर

सी. आर. पी. सी. की धारा 223 के तहत अदालत को संयुक्त मुकदमा चलाने के लिए उपलब्ध, यह सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए सत्र न्यायाधीश के लिए भी खुला होगा और

अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने का निर्णय लेना, यह भी निर्णय लेना कि ऐसे अभियुक्त को बुलाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ पारित किए जा रहे फैसले को स्थगित करके संयुक्त मुकदमा चलाया जाना है या नहीं। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि नए जोड़े गए अभियुक्त के खिलाफ किए जाने वाले नए मुकदमे की अलग से सुनवाई की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में सत्र न्यायाधीश के लिए ऐसा आदेश देना और निर्णय पारित करने के लिए आगे बढ़ना और उस अभियुक्त के रूप में मुकदमे को समाप्त करना खुला होगा, जिसके खिलाफ उसने मूल रूप से कार्यवाही की थी और उसके बाद नए जोड़े गए अभियुक्त के मामले में आगे बढ़ना संभव होगा। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अदालत द्वारा या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या धारा 319 के तहत किसी आवेदन पर किसी अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के निर्णय पर विचार किया जाए और दोषसिद्धि और सजा के फैसले से पहले निपटा दिया जाए, अन्यथा, मुकदमा समाप्त हो जाएगा और अदालत को धारा 319 के तहत शक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। चूँकि न्यायालय के पास यह तय करने की शक्ति उपलब्ध है कि क्या एक संयुक्त मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है या नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में निहित वाक्यांश, "अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है", निर्देशिका होनी चाहिए। [पैरा 29] [184-जी-एच; 185-ए-डी]

2.8 यदि फरार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा विभाजित किया जाता है

(द्विभाजित) और लंबित है, कि अपने आप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत दायर एक आवेदन या पहले के मुख्य मुकदमे में एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए अदालत के आदेश को वैधता प्रदान नहीं करेगा यदि

इस तरह का समन आदेश पहले समाप्त मुकदमे में दिया जाता है।

अन्य अभियुक्तों के खिलाफ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा उस मामले में दर्ज साक्ष्य के आधार पर किया जाना है जो उस अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इशारा करता है जिसे तलब करने की मांग की गई है। यदि विभाजित मामले में, फरार अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर मुकदमा शुरू किया जाता है और यदि

उसमें अभिलिखित साक्ष्य किसी की संलिप्तता की ओर इशारा करता है

धारा 319 सी. आर. पी. सी. में यथा अनुध्यात अन्य व्यक्ति, अभियुक्त को समन करने की ऐसी शक्ति निश्चित रूप से मुकदमे के समापन से पहले विभाजित (द्विभाजित) मामले में लागू की जा सकती है। [पैरा 30] [185-डी-जी] सुखपाल सिंह खैरा बनाम।

पंजाब राज्य

शशीकांत सिंह बनाम तारकेश्वर सिंह (2002) 5 एससीसी

738 [2002] 3 एस. सी. आर. 400; हार्डीप सिंह बनाम। की स्थिति

पंजाब (2014) 3 एससीसी 92 [2014] 2 एससीआर 1; रामा

नारंग बनाम रमेश नारंग और अन्य (1995) 2 एससीसी

513 [1995] 1 एस. सी. आर. 456; याकूब अब्दुल रजाक मेमन

वी. महाराष्ट्र राज्य (2013) 13 एससीसी 1: [2013] 15

एस. सी. आर. 1; राजेन्द्र सिंह बनाम। यू. पी. राज्य और एक अन्य (2007) 7 एससीसी 378: [2007] 8 एससीआर 834; मंजीत सिंह

वी. हरियाणा राज्य और अन्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी

632 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 2 एससीआर 1

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[1995] 1 एससीआर 456

उस पर भरोसा करें

पैरा 25

[2013] 15 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2002] 3 एससीआर 400

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

[2007] 8 एससीआर 834

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

885 2019 से।

उच्च न्यायालय के 17.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 (ओ एंड एम) के आपराधिक संशोधन सं. 4070 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

के साथ

एसएलपी (सीआरएल) नं. 6960/2021, CRl। अपील सं. 886/2019 और एसएलपी (सीआरएल)

नं. 5933/2019।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता। (न्यायमित्र)

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री निहारिका अहलूवालिया, सुधीर वालिया,

अर्पित शर्मा, सुश्री हर्षिका वर्मा, गौरवजीत सिंह पटवालिया, अजीत सिंह जौहर, हर्षित सेठी, मेहताब सिंह खैरा, कपिल दहिया, देवांशु यादव, अमित के. नैन, पुनीत सिंह बिंद्रा, नीरज कुमार वर्मा, यशार्थ कांत, सिमरेन जीत, चिनमॉय खलडकर, अभिनव अग्निहोत्री, सलोनी परांजपे, अभिषेक शर्मा, बी. के. पाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., एस. वी. राजू, ए. एस. जी., अर्धनदुमौली कुमार प्रसाद,

सौरभ मिश्रा, एएजी, विनोद घई, सीनियर Adv./Advocate जनरल, अमन [2022] 10 एस. सी. आर.

पाल, गौरव धामा, एडिशनल। एजीएस। , सुश्री कनिका आहूजा, सुश्री कीर्ति आहूजा, सुश्री प्रियंका सी., मयंक दहिया, सुश्री महिमा डोगरा, सुश्री भूपिंदर, अजय पाल, सुश्री रानू पुरोहित, मुकेश कुमार मरोरिया, जोहेब हुसैन, कानू अग्रवाल, अनिरुद्ध भट, अदित खुराना, पद्मेश मिश्रा, उदय खन्ना, अंकित भाटिया, सुश्री मधुमिता, अंशुमन सिंह, हर्ष पॉल सिंह, हितार्थ राजा, विकास बंसल, विष्णु शंकर जैन, शशि शेखर कुमार, सुश्री तरुणा अर्धेन्दमौली प्रसाद, अमृतेश राज, सुश्री श्रेया श्रीवास्तव, आशीष मदान, अमन सिंह भदौरिया, सुश्री अनन्या साहू, अभिनव उत्तरदाता के लिए।

आशीष दीक्षित, रवि शर्मा, अधिवक्ता। मध्यस्थ के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. उपरोक्त अपील में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक संशोधन No.4070 में पारित 17.11.2017 का आदेश

2017 और 2017 के आपराधिक संशोधन No.4113 पर हमला किया गया है। उक्त आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने आपराधिक संशोधन याचिकाओं को खारिज कर दिया है और निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 31.10.2017 के आदेश को बरकरार रखा है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करके अपीलार्थी को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में समन करना। तथ्यों के वर्णन के उद्देश्य से 2019 की आपराधिक अपील No.885 में मामला नोट किया गया है।

2. जिस स्थिति के कारण अपीलार्थी को तलब किया गया वह यह है कि 05.03.2015 पर पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस') की धारा 21,24,25,27,28,29 और 30, शस्त्र अधिनियम की धारा 25-ए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'आईटी अधिनियम') की धारा 66 के तहत अपराध के लिए 11 अभियुक्तों के खिलाफ सदर, जलालाबाद। दिनांक 1 के आरोप पत्र में, 10 अभियुक्तों को तलब किया गया और 2015 के सत्र मामले संख्या 289 में मुकदमा चलाया गया। हालाँकि दूसरा आरोप पत्र पुलिस द्वारा दायर किया गया था, लेकिन उसमें अपीलार्थी का नाम आरोपी के रूप में नहीं था।

3. विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष किए गए मुकदमे में भी,

शुरू में गवाहों द्वारा अपीलार्थी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। साक्ष्य की प्रारंभिक रिकॉर्डिंग के बाद, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 को वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दिनांक 31.07.2017 पर एक आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति दी गई थी। कथित वापस बुलाए गए गवाहों की आगे की जाँच में, उन्होंने यहाँ अपीलार्थी का नाम लिया। इसके बाद अभियोजन पक्ष सुखपाल सिंह खैरा बनाम।

पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

अपीलार्थी सहित अतिरिक्त 5 अभियुक्तों को समन करने के लिए 2015 के उक्त सत्र मामले में सी. आर. पी. सी. की धारा 319 को लागू करते हुए आई. डी. 2 पर एक आवेदन दायर किया गया। अतिरिक्त अभियुक्तों को समन

पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-13 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर माँगा गया था।

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 11 अभियुक्तों में से,

2015 का सत्र मामला 10 अभियुक्तों के खिलाफ था और चूंकि अभियुक्तों में से एक उपलब्ध नहीं था, इसलिए उस संबंध में मामले को विभाजित (विभाजित) कर दिया गया और बाद में इसे सत्र मामले के रूप में गिना गया।

2019 का 03.09.2019 पर। उस पृष्ठभूमि में, यह देखा जाता है कि जिस तारीख को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन 21.09.2017 पर दायर किया गया था, उस तारीख तक केवल 2015 का सत्र मामला No.289 लंबित था। उस में 10 अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 31.10.2017 पर निर्णय सुनाया, जिसमें अभियुक्तों में से एक को बरी कर दिया गया, जबकि शेष 9 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और 31.10.2017 पर सजा सुनाई गई। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत दायर आवेदन को भी मंजूरी दे दी।

उसी दिन यानी 31.10.2017 और अपीलार्थी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया। यह उस पृष्ठभूमि में है जिसमें अपीलार्थी ने 31.10.2017 दिनांकित आदेश पर हमला किया था।

समन का प्रयोग विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया था, दोषसिद्धि और सजा का निर्णय पहले ही 31.10.2017 पर पारित किया जा चुका था। 2017 की पुनरीक्षण याचिका No.4070 और 4113 में उल्लिखित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण वर्तमान कार्यवाही हुई है। 5. तत्काल याचिका की सुनवाई इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आई. डी. 1 पर की गई, जिसमें समन आदेश को लागू करने के क्रम में, शशीकांत सिंह बनाम तारकेश्वर सिंह (2002) 5 एस. सी. सी. 738 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों और हार्दीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एस. सी. सी. 92 के मामले में निर्णय को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत प्रयोग करने योग्य शक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ की राय थी कि जिस वास्तविक चरण में मुकदमा समाप्त हुआ है, उसके संबंध में प्रश्न पर आधिकारिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति असाधारण प्रकृति की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. इस दृष्टिकोण से, आगे के विचार के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए और मामलों को उनके समक्ष रखा गया।

एक पीठ के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश उठाए गए प्रश्नों पर विचार करने के लिए उचित शक्ति। माननीय प्रमुख

न्यायमूर्ति ने तदनुसार उठाए गए प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस पीठ का गठन किया है, जो नीचे दिए गए हैं: -

" I. क्या निचली अदालत के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने की शक्ति है जब अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में मुकदमा समाप्त हो गया है और समन आदेश देने से पहले उसी तारीख को दोषसिद्धि का निर्णय दिया गया है?

II. क्या निचली अदालत के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कुछ अन्य फरार अभियुक्तों (जिनकी उपस्थिति है) के संबंध में मुकदमे के दौरान अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की शक्ति है। बाद में सुरक्षित) चल रहा है/लंबित है, जिसे विभाजित किया गया है

मुख्य मुकदमे से?

III. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सक्षम अदालत को किन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए?

7. उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया और श्री पी. एस. पटवालिया को भी सुना है।

पुनीत सिंह बिंद्रा, विद्वान वकील जो की ओर से पेश हुए

टैग किए गए मामले में अपीलार्थी। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु ने न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय की सहायता की है। पंजाब राज्य की ओर से महाधिवक्ता श्री विनोद घई, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री ए. के. प्रसाद, अपर महाधिवक्ता श्री एस. वी. राजू, भारत संघ की ओर से पेश हुए, क्योंकि कहा जाता है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इंटरवेनर प्रॉसिक्यूटर एसोसिएशन की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री आशीष दीक्षित को भी हमने सुना है।

8. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया द्वारा प्रस्तुत तर्क का सार नीचे दिया गया है: - सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत एक व्यक्ति (अपीलार्थी) को आरोपी के रूप में समन करने का आदेश उस स्तर पर पारित किया गया था जब मुकदमा पहले ही चल चुका था।

और यहाँ तक कि सजा पर निर्णय और आदेश भी घोषित कर दिया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त आदेश, इसलिए सुखल सिंह खैरा बनाम का उल्लंघन है।

पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 और हार्दीप सिंह (ऊपर), जिसमें पैरा 47 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्णय की घोषणा से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना है। इसका प्रयोग केवल मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किया जा सकता है, जो निर्णय की घोषणा की तारीख के पूर्ववर्ती चरण है। वास्तव में यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 (1) के अनुरूप भी है, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य के अवलोकन के बाद, निर्णय मुकदमे की समाप्ति के बाद सुनाया जाना है, और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 यह आदेश देती है कि -

इसका प्रयोग केवल मुकदमे के दौरान किया जा सकता है और यह इस प्रकार है कि एक बार मुकदमा समाप्त हो जाने और फैसला सुनाए जाने के बाद, न्यायालय उस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

यह तर्क देना कि यह एक साथ हो सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 का भी समान रूप से उल्लंघन है और निर्धारित कानून स्पष्ट है कि यह निर्णय से पहले किया जाना चाहिए। संक्षेप में, यदि किसी अभियुक्त को तलब किया जाना है, तो यह तब किया जाना चाहिए जब मुकदमा जीवित हो। जिस क्षण मुकदमा समाप्त हो जाता है और मामले को निर्णय के लिए रखा जाता है, फिर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का चरण चला जाता है और उसके बाद न्यायालय कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है। जब मुकदमा लंबित होता है, तो अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आरोपी को जोड़ सकती है, लेकिन जिस क्षण मुकदमा समाप्त हो जाता है और फैसला सुनाया जाता है, तब अदालत के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं रहती है। जब न्यायालय अभियुक्त को दोषमुक्त करने या दोषी ठहराने का निर्णय सुनाता है, तो उसके बाद, मूल आरोप पत्र दाखिल करने के साथ शुरू हुई कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं रहती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह केवल प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं है, बल्कि मूल उल्लंघन है क्योंकि शक्ति उस चरण से सीमित है जिसके दौरान इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी जांच/परीक्षण।

9. विद्वान न्यायमित्र श्री एस. नागमुथु द्वारा की गई दलीलों का सार इस प्रकार हैः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत संज्ञान लेने से पहले और निर्णय की घोषणा के बाद, न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत कोई शक्ति नहीं है।

सी. आर. पी. सी. और हार्दीप सिंह (ऊपर) को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत के पास अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने की शक्ति नहीं है जब अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में मुकदमा समाप्त हो जाता है और उसी तारीख को दोषसिद्धि का निर्णय दिया जाता है। सेशन ट्रायल में, आरोपी को बरी करने के आदेश से बरी किया जा सकता है और यदि आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 या 235 के तहत, आदेश पारित करके या फैसला सुनाकर बरी कर दिया जाता है, तो कार्यवाही समाप्त हो जाती है। जबकि, यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो कार्यवाही अभी भी जारी है क्योंकि उसे सजा पर सुना जाना है और वह उस स्तर पर साक्ष्य देने का हकदार है। इसलिए, जब आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो मुकदमा [2022] 10 एस. सी. आर.

सजा सुनाए जाने के बाद समाप्त कर दिया जाता है। सी. आर. पी. सी. की धारा 353 को इस पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए और इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि दलीलें सुनने के बाद मुकदमा समाप्त हो जाता है।

साक्ष्य जो जांच/मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड में लाए गए हैं

जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य जैसे कि एफ़. आई. आर., धारा 161, धारा 164 के बयानों को सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के उद्देश्य के लिए साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसे लागू करने से यह पता चलेगा कि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आयोजित एक अलग मुकदमे में दर्ज साक्ष्य को वर्तमान मामले में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेकिन, विभाजन के मामले में (जहां एक अलग मुकदमा है, और उस मुकदमे के दौरान, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत रिकॉर्ड पर आता है जो पहले से ही आरोपी नहीं है, तो केवल उस सबूत के आधार पर, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है

अतिरिक्त अभियुक्त, यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि क्या एक ही मुकदमे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर आरोप लगाया जाए और उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए।

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 (4) के अनुसार, नए जोड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा एक नया मुकदमा होना चाहिए। हालाँकि, यदि संयुक्त मुकदमा चलता है, तो मौजूदा अभियुक्तों सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अभियुक्त। ऐसी स्थिति में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 को देखते हुए पहले से दर्ज साक्ष्य अतिरिक्त अभियुक्त के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक मामले में, सबूत के दो सेट नहीं हो सकते हैं, एक मौजूदा आरोपी के खिलाफ और दूसरा अतिरिक्त आरोपी के खिलाफ। नतीजतन, सबूत

10. पंजाब राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री विनोद घई द्वारा प्रस्तुत दलीलों का सार इस प्रकार हैः सी. आर. पी. सी. की धारा 319 को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य यह जांच करना है कि किसी भी अपराधी को मुक्त नहीं होना चाहिए और वास्तविक आरोपी के अपराध को घर लाना है। यह इस संदर्भ में है कि न्यायालयों ने

किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार, जिसने ऐसा किया प्रतीत होता है

अपराध, जिसके लिए पहले से ही आरोपित अभियुक्त मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इस तरह के प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या करने और अनुचित प्रतिबंध लगाने से इस शक्ति के उद्देश्य को दरकिनार किया जाएगा और इसका परिणाम केवल न्याय का उपहास होगा। उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो

न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और न्यायालय को उपरोक्त-उल्लिखित सुखपाल सिंह खैरा बनाम को पूरा करने की शक्तियां प्रदान करने वाले क़ानून के इरादे को कम नहीं करता है।

पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

अभिनिर्धारित उद्देश्य और उद्देश्य उस व्यक्ति पर अपराध करने में अभियुक्त के रूप में न्यायालय की संतुष्टि के लिए मुकदमा चलाना है जो मुकदमे का विषय है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) बताती है कि कौन/किस प्रकार का व्यक्ति है।

मुकदमे का सामना करने के लिए अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाया जा सकता है। व्यक्ति की पहचान करने के लिए "अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्द का उपयोग किया गया है। जिसे तलब किया जा सकता है और अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। सी. आर. पी. सी. आदेश की धारा 319 के खिलाफ उच्च न्यायालयों के समक्ष पुनरीक्षण/अपील के लंबित रहने के दौरान मुख्य मुकदमे का समापन आदेश को केवल इसलिए निष्क्रिय/अप्रभावी नहीं बनाएगा क्योंकि जिस मुकदमे में ऐसा आदेश पारित किया गया था वह समाप्त हो गया है।

फरार आरोपी चल रहा है/विचाराधीन है जिसे उससे अलग कर दिया गया है मुख्य परीक्षण। मुकदमे के आरोपी जो पहले फरार थे, लंबित हैं और कुछ सबूत आए हैं जिनके लिए समन की आवश्यकता है।

न्यायालय द्वारा अतिरिक्त अभियुक्त। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन का उसी दिन एक साथ निर्णय लिया जाता है जब मुकदमा समाप्त होता है, तो नीचे दिया गया न्यायालय कार्यात्मक अधिकारी नहीं बन जाता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होता है, जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सजा की मात्रा पर एक आदेश निर्णय का एक अभिन्न अंग है और ऐसे आदेश के बिना दोषसिद्धि के किसी भी निर्णय को अपूर्ण के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

11. उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री ए. के. प्रसाद द्वारा प्रस्तुत तर्क का सार अनिवार्य रूप से इस प्रकार है -

प्रतिवादी के लिए विद्वान महाधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया एक ही पंक्ति-पंजाब राज्य। जहाँ तक उस शक्ति से संबंधित पहलू का संबंध है जिसका प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किया जा सकता है, मुकदमे के पूरा होने से पहले ऐसी शक्ति का प्रयोग किए जाने के अर्थ के साथ विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मुकदमा इस प्रकार समाप्त नहीं होता है -

दोषसिद्धि की घोषणा, क्योंकि सजा भी निर्णय का एक हिस्सा है। सजा सुनाए जाने के बाद ही अदालत कार्यात्मक अधिकारी बन जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि यह अभिनिर्धारित करना होगा कि सजा सुनाए जाने तक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जो वह बिंदु है जिस पर निर्णय सभी मामलों में पूरा हो जाता है और मुकदमा समाप्त हो जाता है।

12. श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि विद्वान महाधिवक्ता और [2022] 10 एस. सी. आर. द्वारा प्रस्तुत की गई पंक्तियों में तर्क दिया।

वास्तव में, संबंधित राज्यों के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक कदम आगे बढ़कर तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग सजा सुनाए जाने के बाद भी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है क्योंकि किसी आरोपी की संलिप्तता बाद के चरण में सामने आ सकती है और उस परिस्थिति में यदि प्रावधान लाने के लिए विधि आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखा जाता है, तो एकमात्र उद्देश्य यह है कि कोई भी आरोपी छूट न पाए और इसलिए आरोपी को कानून के दायरे में लाने के लिए किसी भी स्तर पर कदम उठाए जा सकते हैं। हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील श्री आशीष दीक्षित ने राज्यों की ओर से इसी तरह की दलीलें पेश करके दलीलों को पूरा किया है।

13. प्रतिद्वंद्वी विवादों की पृष्ठभूमि में, हमें संदर्भित प्रश्न को निर्धारित करने के लिए, हमारे लिए यह उचित होगा कि हम शुरू में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में निहित प्रावधान पर ध्यान दें, जो

जैसा कि नीचे पढ़ा गया है: -

" 319. अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति

अपराध का दोषी होना। - (1) जहाँ, किसी अपराध की किसी जांच या मुकदमे के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो वह प्रतीत करता है। समर्पण करने के लिए।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या मामले की परिस्थितियों के अनुसार तलब किया जा सकता है। आवश्यकता, उपरोक्त उद्देश्य के लिए।

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति, हालांकि गिरफ्तारी या समन पर नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या मुकदमे के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है, जो वह प्रतीत करता है।

प्रतिबद्ध हैं।

(4) जहाँ न्यायालय उप-धारा के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है।

(1) , तब -

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही होगी - नए सिरे से शुरू किया, और गवाहों को फिर से सुना गया;

(ख) खंड (क) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मामला इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय

उस अपराध का संज्ञान लिया जिस पर जांच या मुकदमा चलाया गया था

शुरू किया गया था "। सुखपाल सिंह खैरा बनाम। पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

14. प्रारम्भ में, प्रावधान को नोट करने के बाद, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि न्यायालय को दी गई शक्ति इस प्रभाव के लिए है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किसी अपराध की जांच या मुकदमा, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा साक्ष्य अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करता है, जिसके खिलाफ न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जा रहा है, तो उसने कोई अपराध किया है और ऐसे अभियुक्त को आरोप पत्र या मुकदमे की प्रक्रिया में तब तक बाहर रखा गया है जब तक कि उस अपराध के लिए अभियुक्त को समन नहीं किया जा सकता और उसके साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है जो प्रतीत होता है कि

अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाए गए ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं।

15. उस संबंध में, सी. आर. पी. सी. में प्रावधान को शामिल करने और न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य इस पर आधारित था

भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 41 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश, जिसका सभी विद्वान वरिष्ठ वकीलों ने व्यापक संदर्भ दिया है, जिसे नीचे पढ़ा जा सकता है:

24.81 . धारा 351 यह मानती है कि इसके तहत कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट के पास नए मामले का संज्ञान लेने की शक्ति है। हालाँकि, यह नहीं बताता कि मजिस्ट्रेट द्वारा किस तरह से संज्ञान लिया जाता है। संज्ञान लेने के तरीकों का उल्लेख धारा 190 में किया गया है और ये स्पष्ट रूप से संपूर्ण हैं। सवाल यह है कि क्या नए जोड़े गए अभियुक्त के खिलाफ, धारा 190 (1) (सी) के तहत मजिस्ट्रेट की अपनी जानकारी पर संज्ञान लिया जाना चाहिए था, या केवल उस तरीके से जिसमें अन्य अभियुक्त के खिलाफ अपराध का पहले संज्ञान लिया गया था। में। ठोस शर्तें, यदि मूल मामला एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किया गया था, यानी धारा 190 (1) (बी) के तहत, नए अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान उसी तरीके से लिया गया माना जाएगा, या [2022] 10 एस. सी. आर.

मौजूदा कानून के तहत सही स्थिति, मतभेद रहा है, और हम सोचते हैं कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इस विशेष प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी ज्ञात संदिग्धों के खिलाफ पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शीघ्रता से और सुविधा के लिए आवश्यक है कि नए जोड़े गए अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान उसी तरह लिया जाना चाहिए जैसे अन्य अभियुक्तों के खिलाफ लिया गया था। इसलिए हम धारा 351 को व्यापक बनाने का प्रस्ताव करते हैं और यह प्रावधान करते हैं कि यदि कार्यवाही के दौरान किसी नए व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ा जाता है तो संज्ञान लेने के तरीके में कोई अंतर नहीं होगा। बेशक, यह आवश्यक है (जैसा कि पहले से ही प्रदान किया गया है) कि ऐसी स्थिति में

साक्ष्य को नए जोड़े गए लोगों की उपस्थिति में फिर से सुना जाना चाहिए। अभियुक्त।

24.82 जिस अपराध के लिए नए जोड़े गए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे धारा में सटीक शब्दों में इंगित नहीं किया गया है। जाहिर है, उस अपराध को उस अपराध से जोड़ा जाना चाहिए जिसके लिए

मूल अभियुक्त पर मुकदमा चल रहा है। इसे सामने लाने के लिए, एक छोटी सी मौखिक

संशोधन की सिफारिश की जाती है।

16. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत दी जाने वाली शक्ति से संबंधित मुद्दा विस्तृत विचार के लिए आर. दीप सिंह (ऊपर) के सामने आया था, जिसमें इस तरह की शक्ति के दायरे, प्रक्रिया और चरण पर विचार किया गया था और संक्षेप में बताया गया था।

कमियाँः

12. धारा 319 सी. आर. पी. सी. जुडेक्स डैमनाचर सिद्धांत से निकलती है।

कम नोसेन्स एब्सोल्विटुर (न्यायाधीश की निंदा तब की जाती है जब वह दोषी होता है। बरी) और इस सिद्धांत का उपयोग धारा 319 सी. आर. पी. सी. के अधिनियमन के दायरे और भावना को समझाते हुए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में किया जाना चाहिए।

13. असली अपराधी को दंडित करके न्याय करना अदालत का कर्तव्य है। जहाँ जाँच एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से किसी एक को अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, वहाँ अदालत उक्त अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में असमर्थ नहीं है। सवाल यह है कि अदालत को किन परिस्थितियों में और किस स्तर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में विचार किया गया है?

15. यह दर्ज करना आवश्यक होगा कि शक्ति

धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत प्रदत्त केवल अदालत में है। इसे इस संदर्भ में समझना होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 केवल अदालत को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने का अधिकार देती है। आपराधिक न्यायालयों के हमारे पदानुक्रम में "अदालत" शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट के साथ-साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। सत्र न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में परिभाषित किया गया है और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को इसकी धारा 11 के तहत परिभाषित किया गया है। महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के तहत परिभाषित किया गया है। वे न्यायालय जो दंड संहिता, 1860 के तहत किए गए अपराधों या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अपराध का मुकदमा चला सकते हैं, उन्हें पहली अनुसूची के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम अनुसूची के तहत "अपराधों का वर्गीकरण" शीर्षक के तहत व्याख्यात्मक टिप्पणी (2) "प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट" और "कोई भी मजिस्ट्रेट" अभिव्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जिसमें महानगर मजिस्ट्रेट शामिल हैं जो उक्त अनुसूची के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए सशक्त हैं लेकिन कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शामिल नहीं करते हैं।

40. यहां तक कि धारा 319 सी. आर. पी. सी. में आने वाला "पाठ्यक्रम" शब्द भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शक्ति का प्रयोग केवल उस अवधि के दौरान किया जा सकता है जब जांच शुरू की गई हो और चल रही हो या मुकदमा शुरू हो गया हो और चल रहा हो। यह पूर्व-परीक्षण और परीक्षण चरण की प्रक्रिया की पूरी विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। इसलिए "पाठ्यक्रम" शब्द अदालत को आगे बढ़ने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। जांच के प्रारंभिक चरण से लेकर मुकदमे के समापन के चरण तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। न्यायालय कार्यात्मक अधिकारी नहीं बन जाता है, भले ही संज्ञान लिया गया हो क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति की सामग्री को देख रहा है जो आरोपी नहीं है। "पाठ्यक्रम" शब्द आम तौर पर समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निरंतर प्रगति का अर्थ बताता है और समय की अवधि के विचार को बताता है: अवधि और समय का एक निश्चित बिंदु नहीं।

42. यह कहना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल मुकदमे के दौरान किया जा सकता है, अदालत द्वारा "जांच" शब्द के प्रभाव को कम करेगा। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्याख्या जो इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि विधायिका द्वारा उपयोग किया गया एक शब्द अनावश्यक है, उससे बचा जाना चाहिए क्योंकि यह धारणा है कि विधायिका ने जानबूझकर और सचेत रूप से [2022] 10 एस. सी. आर. के लिए शब्दों का उपयोग किया है।

जाँच के चरण में पहुँचता है और जैसे ही अदालत तैयार करती है आरोप, मुकदमा शुरू होता है, और इसलिए, शक्ति

धारा 319 (1) के तहत दंड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद और उससे पहले

निर्णय की घोषणा, के चरण के दौरान को छोड़कर

इसके लिए सही मायने में न्यायिक कदम नहीं कहा जा सकता है। न्यायिक आवेदन के बजाय केवल दिमाग के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है

मन से। इस पूर्व-परीक्षण चरण में, मजिस्ट्रेट को प्रदर्शन करना आवश्यक है न्यायिक कार्य के बजाय प्रशासनिक कार्य की प्रकृति में कार्य करता है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 और 208 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, और

यदि यह विशेष रूप से सत्रों द्वारा परीक्षण योग्य है तो मामले को प्रतिबद्ध करना

अदालत। इसलिए, हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 से 209 के स्तर पर मजिस्ट्रेट है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के स्पष्ट प्रावधान द्वारा उसे लागू करने से मना किया गया है।

मामले के गुण-दोष पर ध्यान दें और यह निर्धारित करें कि क्या कोई

सत्र न्यायालय। 57. इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के प्रावधानों को लागू करना,

जाँच के स्तर पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए।

धारा 319 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग केवल किया जा सकता है।

एक मुकदमा। जहाँ तक जाँच के दौरान इसका आवेदन है संबंधित, यह सीमित रहता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक जोड़ते हुए

अभियुक्त के रूप में व्यक्ति, जिसका नाम कॉलम में उल्लिखित किया गया है

2 आरोप-पत्र या कोई अन्य व्यक्ति जो एक हो सकता है

सहयोगी।

(जोर दिया गया)

17. द्वारा पारित आदेश में निहित संदर्भ को देखते हुए

मामले में स्पष्टता की मांग करने वाले दो माननीय न्यायाधीशों से मिलकर

o दो माननीय न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ द्वारा लिया गया विचार

जहाँ, कथित तौर पर समन किया गया अभियुक्त सुखपाल सिंह खैरा बनाम।

पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

जिन अभियुक्तों पर मूल रूप से आरोप लगाया गया था, उनके खिलाफ निर्णय पारित होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है

जो उसमें उत्पन्न हुआ था और उस मामले में निष्कर्ष पर पहुंचा था। यह ध्यान दिया जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत एक मामले में जिसमें शशांक सिंह (सुप्रा) के भाई शिवकांत सिंह की हत्या कर दी गई थी, चंद्र शेखर सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। जब सबूत दर्ज किया गया तो यह पाया गया कि तारकेश्वर सिंह और दो अन्य लोगों ने भी शिवकांत सिंह की हत्या का अपराध किया था। विद्वान।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 07.04.2001 के आदेश द्वारा शक्ति का प्रयोग किया

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया ताकि उन पर चंद्र शेखर सिंह के साथ मुकदमा चलाया जा सके, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। 2001 के आपराधिक संशोधन No.269 में तारकेश्वर सिंह द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को समन करने के उक्त आदेश पर हमला किया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मूल रूप से आरोपित आरोपी चंदर शेखर सिंह के खिलाफ लंबित मुकदमे को समाप्त कर दिया और उसे दिनांक 1 के फैसले द्वारा दोषी ठहराया। इसलिए उस संदर्भ में जो सवाल उठा वह यह था कि क्या उस मामले में मुकदमा, जिसमें तारकेश्वर सिंह सहित अतिरिक्त अभियुक्तों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत तलब किया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में निहित वाक्यांश "अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है" को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकता है, जब अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दोषसिद्धि के आदेश के साथ समाप्त हो गया था। 18. उस संदर्भ में दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने समन किए गए आरोपी तारकेश्वर सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

और अन्य निम्नलिखित रूप में आयोजित किए गए:

" 9. यहाँ प्रावधान का इरादा यह है कि जहां किसी अपराध की किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान, अदालत को सबूत से यह प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आरोपी नहीं है

कोई भी अपराध करने पर, अदालत उसके खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकती है जो उसने किया प्रतीत होता है। उस स्तर पर, अदालत इस बात पर विचार करेगी कि ऐसे व्यक्ति पर उस आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है जो पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे अदालत के समक्ष है। ऐसे व्यक्ति के संबंध में दी गई सुरक्षा यह है कि,

शुरू से ही कार्यवाही अनिवार्य है

नए सिरे से शुरू किया जाए और गवाहों को फिर से सुना जाए। में।

संक्षेप में, उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नव परीक्षण का प्रावधान अनिवार्य है। यह [2022] 10 एस. सी. आर. को बहुत प्रभावित करता है।

केवल क्रूस के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हो ऐसे व्यक्ति की जाँच। इनकी जांच होनी चाहिए।

नए सिरे से। नए सिरे से परीक्षा-मुख्य और न केवल उनकी

क्रॉस-परीक्षा के उद्देश्य के लिए प्रस्तुति

नया जोड़ा गया अभियुक्त धारा 319 (4) का अधिदेश है। इन शब्दों में "अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है"

धारा 319 (1), केवल निर्देशिका प्रतीत होती है। हो सकता है "

प्रावधान की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि चूंकि एक व्यक्ति के संबंध में मुकदमा जो अदालत के समक्ष था

इस परिणाम के साथ निष्कर्ष निकाला कि नया जोड़ा गया व्यक्ति

अभियुक्त के साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जो पहले था

जब अदालत ने धारा 319 (1) के तहत आदेश पारित किया था,

आदेश अप्रभावी और निष्क्रिय हो जाएगा, रद्द हो जाएगा के आधार पर अदालत द्वारा पहले बनाई गई राय

इसके सामने सबूत है कि नया जोड़ा गया व्यक्ति प्रकट होता है उसके लिए एक आदेश के परिणामस्वरूप अपराध किया है

अदालत के सामने लाया जा रहा है।

(जोर दिया गया)

19. इस प्रकार, मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए,

विधि आयोग की सिफारिश इस आशय को इंगित करेगी कि एक अभियुक्त जो आरोप पत्र में शामिल नहीं है, लेकिन यदि वह शामिल पाया जाता है तो उसे मुक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए, सी. आर. पी. सी. की धारा 319 को शामिल किया गया था जो न्यायालय को मुकदमे के समापन से पहले इसे सुनिश्चित करने की शक्ति का प्रयोग करने का प्रावधान करता है ताकि ऐसे अभियुक्तों को समन भेजकर और अन्य अभियुक्तों के साथ आगे बढ़कर मुकदमा चलाया जा सके। शशीकांत सिंह (उपरोक्त) मामले में, दो माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने पर कि संयुक्त विचारण अनिवार्य नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में निहित आवश्यकता को केवल निर्देशिका के रूप में अभिनिर्धारित किया है, और इस प्रकार आरोप-पत्रित अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धि के निर्णय को अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अदालत के लिए एक बाधा नहीं माना गया था, जिसे दिनांक 2 के समन आदेश द्वारा जोड़ा गया था, जो किसी भी मामले में

मुकदमे के समापन से पहले था, जो हमारे विचार में आवश्यकता को पूरा करता है क्योंकि समन आदेश निर्णय से पहले था। प्रदीप सिंह (ऊपर) के मामले में भी न्यायालय की शक्ति के तहत

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 को बरकरार रखा गया है, दोहराया गया है, और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी शक्ति सुखपाल सिंह खैरा बनाम से पहले किसी भी समय प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है।

जब तक साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया जाता है, तब तक इसे एक चरण के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे निर्णय की घोषणा से पहले के चरण के रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि पहले ही हार्दीप सिंह (उपरोक्त) में कहा जा चुका है क्योंकि निर्णय सुनाए जाने पर मुकदमा एक निष्कर्ष पर आता है क्योंकि जब तक कि अदालत द्वारा अभियुक्त पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। 21. उस संदर्भ में, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रतिद्वंद्वी विवादों का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि किस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि मुकदमा समाप्त हो गया है। क्या यह उस स्तर पर है जब निर्णय सुनाया जाता है और दोषसिद्धि का आदेश दिया जाता है या यह तब होता है जब सजा सुनाई जाती है और सभी मामलों में मुकदमा पूरा हो जाता है? इस पहलू पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्णय से संबंधित संहिता के प्रावधान पर ध्यान देना आवश्यक है। सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे को विनियमित करने वाले अध्याय XVIII में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और मुकदमे के समापन का संकेत दिया गया है। हमारे उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 और 235 है जो नीचे दी गई हैः

" 232. बेदखली। — यदि अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य लेने, अभियुक्त की जांच करने और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को इस मुद्दे पर सुनने के बाद, न्यायाधीश मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश

बरी करने का आदेश दर्ज करें। "[2022] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 235. दोषमुक्त या दोषसिद्धि का निर्णय। (1) सुनने के बाद तर्क और कानून के बिंदु (यदि कोई हों), तो न्यायाधीश निर्णय देगा।

मामले में। (2) यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, अभियुक्त को सुनेगा।

सजा के सवाल पर, और फिर उस पर सजा सुनाएँ

कानून के अनुसार "। आगे अध्याय XXVII निर्णय के संबंध में इस प्रकार है -

सी. आर. पी. सी. की धारा 353 में निहित है, जबकि सी. आर. पी. सी. की धारा 354 से संबंधित है

निर्णय का तर्क और विषय-वस्तु। वे नीचे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" 353. निर्णय। (1) किसी भी आपराधिक न्यायालय या मूल अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक मुकदमे में निर्णय मुकदमे की समाप्ति के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा।

या बाद के किसी समय जिस पर नोटिस दिया जाएगा

पक्षकार या उनके वकील,

((क) पूरा फैसला सुना कर; या

((ख) पूरे निर्णय को पढ़कर; या (ग) निर्णय के कार्यात्मक भाग को पढ़कर और निर्णय के सार को ऐसी भाषा में समझाकर जो अभियुक्त या उसके वकील को समझ में आए।

(2) जहां उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी इसे कम समय में हटा देगा, प्रतिलेख और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तैयार किया, और उस पर निर्णय देने की तारीख लिखें

खुले न्यायालय में। (3) जहां, यथास्थिति, उप-धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के तहत निर्णय या उसके संचारी भाग को पढ़ा जाता है, वहां इसका दिनांक निर्धारित किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अदालत, और अगर यह अपने हाथ से नहीं लिखा गया है, तो इसका हर पृष्ठ

निर्णय पर उसके हस्ताक्षर होंगे।

(4) जहाँ निर्णय निर्दिष्ट तरीके से सुनाया जाता है - उप-धारा (1) के खंड (ग) में पक्षकारों के अवलोकन के लिए पूरा निर्णय या उसकी एक प्रति तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

या उनके वकील मुफ्त में।

(5) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो उसे फैसला सुनाने के लिए लाया जाएगा।

(6) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, तो उसे न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय की सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, सिवाय इसके कि कहाँ मुकदमे के दौरान उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है और सजा केवल जुर्माने की है या वह बरी हो जाता हैः

बशर्ते कि जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या अधिक उस तारीख को न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं जिस दिन निर्णय सुनाया जाना है, पीठासीन अधिकारी, मामले के निपटारे में अनुचित देरी से बचने के लिए, उनकी अनुपस्थिति के बावजूद निर्णय सुना सकता है।

(7) किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय केवल किसी पक्ष या उसकी अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं माना जाएगा।

जिस दिन या डिलीवरी के लिए अधिसूचित स्थान से प्लीडर पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं या उनमें से किसी को, ऐसे दिन और स्थान की सूचना, या सेवा करने में किसी चूक या सेवा करने में दोष की।

(8) इस धारा की किसी भी बात को किसी भी तरह से सीमित नहीं माना जाएगा।

धारा 465 के प्रावधानों की सीमा।

" 354. निर्णय की भाषा और विषय-वस्तु। (1) इस संहिता द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय,

(क) न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा;

(ख) निर्धारण के लिए बिंदु या बिंदु, उस पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होंगे;

(ग) वह अपराध (यदि कोई हो), और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या अन्य कानून की धारा जिसके तहत आरोपी को दोषी ठहराया गया है, और वह सजा निर्दिष्ट करेगा जिसके लिए उसे सजा दी गई है;

(घ) यदि यह बरी करने का निर्णय है, तो वह अपराध बताएगा जिसमें अभियुक्त को बरी कर दिया गया है और निर्देश देगा कि उसे दोषी ठहराया जाए।

आज़ादी में।

(2) जब भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत दोषसिद्धि होती है और उस संहिता की दो धाराओं में से किसके तहत, या एक ही धारा के दो भागों में से किसके तहत, अपराध [2022] 10 एस. सी. आर.

न्यायालय स्पष्ट रूप से इसे व्यक्त करेगा और निर्णय पारित करेगा।

वैकल्पिक रूप से।

(3) जब दोषसिद्धि मृत्युदंड या, वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास या वर्षों की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए होती है, तो निर्णय में दी गई सजा के कारण बताए जाएंगे, और मृत्युदंड की सजा के मामले में, -

इस तरह के वाक्य के लिए विशेष कारण।

(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए होती है, लेकिन न्यायालय तीन महीने से कम अवधि के कारावास की सजा देता है, तो वह ऐसी सजा देने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा, जब तक कि सजा न्यायालय के उदय तक कारावास की न हो या जब तक कि मामले की सुनवाई इसके प्रावधानों के तहत संक्षिप्त रूप से न की गई हो।

(5) जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाती है, तो सजा निर्देश दें कि उसे तब तक गले से लटका दिया जाए जब तक कि वह मर न जाए।

(6) धारा 117 या धारा 138 की उप-धारा (2) के तहत प्रत्येक आदेश और धारा 125, धारा 145 या धारा 147 के तहत किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में निर्धारण के लिए बिंदु या बिंदु, उस पर निर्णय और निर्णय के कारण शामिल होंगे।

22. ऊपर निकाले गए प्रावधानों के अवलोकन से यह देखा गया है कि यदि सत्र न्यायालय ने अभिलिखित साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए पाया है कि अपराध करने के लिए अभियुक्त को पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, न्यायाधीश को बरी करने का आदेश दर्ज करना आवश्यक है। उस मामले में, विद्वान न्यायाधीश द्वारा आगे कुछ नहीं किया जाना है और इसलिए मुकदमा उस स्तर पर समाप्त होता है। ऐसे मामलों में जहां यह उत्पन्न होता है

सी. आर. पी. सी. की धारा 232 और बरी करने का आदेश दर्ज किया जाता है और जब एक से अधिक आरोपी या एकमात्र आरोपी होते हैं, तो ऐसे मामलों में बरी कर दिया जाता है, कि पर्दा खींचकर मुकदमे का अंत होने के कारण, सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत विचार किए गए साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी को बुलाने की अदालत की शक्ति को बरी करने के फैसले की घोषणा से पहले लागू और प्रयोग करना होगा। उस पर नए सिरे से मुकदमा चलाते समय अलग से मुकदमा चलाया जाना है या संयुक्त मुकदमा चलाया जाना है, इस बारे में भी विचार किया जाएगा। इस तरह के आदेश के बाद यह उस आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाने के लिए खुला रहेगा जिसे बरी कर दिया गया था।

पहले कोशिश की।

23. हालाँकि, यदि विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाना है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 के तहत विचार किए गए निर्णय के माध्यम से दोषसिद्धि का आदेश दिया जाएगा। उप-खंड (2) इसमें यह प्रावधान है कि यदि विद्वान न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के तहत परिवीक्षा पर रिहा होने के आरोपी को लाभ देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो विद्वान न्यायाधीश सजा के सवाल पर आरोपी को सुनेगा और फिर उस पर कानून के अनुसार सजा लगाएगा। इसलिए यह देखा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए और यदि दोषसिद्धि दर्ज की जाती है तो सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही सजा दी जानी है। सजा पर सुनवाई करते समय यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त को पहले दोषी ठहराया गया था और यदि अभियुक्त इसे स्वीकार नहीं करता है, तो विद्वान न्यायाधीश को उस पहलू पर एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 236 के तहत विचार किया गया है। इसके अलावा, सी. आर. पी. सी. की धारा 353 उस तरीके का प्रावधान करती है जिसमें निर्णय सुनाने की आवश्यकता होती है और सी. आर. पी. सी. की धारा 354 निर्णय की भाषा और सामग्री को संदर्भित करती है।

उप-धारा 1 (सी) और धारा 354 सी. आर. पी. सी. की उप-धारा (2) से (6) इंगित करती है कि दोषसिद्धि का आदेश दिए जाने के बाद भी, निर्दिष्ट प्रक्रिया हैः

विद्वत न्यायाधीश द्वारा सजा और सजा की गंभीरता के कारण को लागू करने के लिए इसका पालन करना आवश्यक है जो दर्शाता है कि यह उस प्रक्रिया की निरंतरता है जिसमें विद्वत न्यायाधीश को प्रकृति का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर अपने दिमाग को लागू करने की आवश्यकता होती है।

अपराध करने में संलिप्तता, उसी की गंभीरता और सजा को लागू करना, एक दीवानी कार्यवाही के विपरीत जहां डिक्री तैयार करना एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है, हालांकि निर्णय पर आधारित है।

24. उपरोक्त पहलू इंगित करेंगे कि इसके बाद भी

दोषसिद्धि के निर्णय की घोषणा, मुकदमा पूरा नहीं होता है क्योंकि विद्वान सत्र न्यायाधीश को उस आरोप की गंभीरता को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है जिसके लिए आरोपी को दोषी पाया जाता है; विशेष आरोपी की भूमिका जब किसी अपराध में एक से अधिक आरोपी शामिल होते हैं। और उस प्रकाश में, एक उचित सजा देने के लिए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा केवल दोषसिद्धि के निर्णय की घोषणा पर पूरा होता है, हालांकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत विचार किए गए बरी होने के मामले में ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा बरी होने का आदेश दर्ज करने के अलावा और कुछ नहीं किया जाना है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा समाप्त हो जाता है।

25. इस संबंध में, राम नारंग बनाम रमेश नारंग और अन्य (1995) 2 एस. सी. सी. 513 [2022] 10 एस. सी. आर. में निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तीन माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा है कि

इसके अलावाः

" 12. अध्याय XVIII सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे से संबंधित है। धारा 225 से 227 आरोप तय करने से पहले के चरण से संबंधित है। धारा 228 अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने का प्रावधान करती है। यदि आरोप तय होने के बाद अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करता है, तो धारा 229 में प्रावधान है कि न्यायाधीश याचिका दर्ज करेगा और अपने विवेक से उसे दोषी ठहरा सकता है। हालाँकि, यदि वह दोषी की याचिका दायर नहीं करता है, तो धारा 230 और 211 अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व करने का प्रावधान करती है। यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने और अभियुक्त की जांच के बाद, न्यायाधीश यह मानता है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने वह अपराध किया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, तो न्यायाधीश बरी करने का आदेश दर्ज करेगा। यदि न्यायाधीश धारा 232 के तहत बरी नहीं होता है, तो आरोपी को पेश होने के लिए बुलाना होगा।

धारा 233 द्वारा आवश्यकतानुसार उसका बचाव। साक्ष्य के बाद-बचाव में पूरा हो जाता है और तर्कों को आवश्यकतानुसार सुना जाता है

धारा 234, धारा 235 न्यायाधीश से इस मामले में निर्णय देने की अपेक्षा करती है -

मामला। यदि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो उप-धारा (2)

धारा 235 में यह अपेक्षा की गई है कि न्यायाधीश, जब तक कि वह

संहिता के तहत दोषसिद्धि दर्ज होने के बाद, धारा 235 (2) अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि न्यायाधीश सुनेंगे

सजा के सवाल पर अभियुक्त और फिर उसे कानून के अनुसार सजा सुनाएँ। इसलिए, मुकदमा तभी समाप्त होता है जब दोषी को सजा सुनाई जाती है।

सजा हुई। इस प्रकार एक निर्णय तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि आरोपी व्यक्ति को जिस सजा की सजा सुनाई जाती है, वह उसमें निर्धारित नहीं की जाती है। धारा 356 पता अधिसूचित करने के लिए एक आदेश बनाने को संदर्भित करती है पूर्व में दोषी ठहराए गए अपराधी। धारा 357 सुखपाल सिंह खैरा बनाम में एक आदेश को संदर्भित करती है।

पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

मुआवजे के भुगतान के संबंध में। धारा 359 में प्रावधान है - गैर-संज्ञेय मामलों में लागत के भुगतान के संबंध में एक आदेश

और धारा 360 अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर रिहाई को संदर्भित करती है। इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि

अदालत एक दोषसिद्धि दर्ज करती है, आरोपी को सुनना होता है

वाक्य के प्रश्न पर और यह केवल वाक्य के बाद होता है

यह माना जाता है कि निर्णय पूरा हो जाता है और हो सकता है

संहिता की धारा 374 के तहत उनके खिलाफ अपील की जाए।

(जोर दिया गया)

26. इसी तरह एक का गठन करने के उद्देश्य पर विचार करते हुए

याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 13 एस. सी. सी. 1 मामले में दो माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने मुकदमे को अंतिम रूप देने के लिए निर्णय दिया हैः

" 106. यह स्पष्ट है कि दोषसिद्धि आदेश "निर्णय" नहीं है।

जैसा कि धारा 353 के तहत विचार किया गया है और एक निर्णय है

सजा सुनाए जाने के बाद ही घोषित किया जाता है।

113. फैसले से यह भी स्पष्ट है कि विस्तृत प्रस्तुतियाँ

अपीलार्थी (ए-1) द्वारा सजा-पूर्व सुनवाई के दौरान किए गए थे।

और इन प्रस्तुतियों पर विचार किया गया और तदनुसार, कारण

धारा की आवश्यकता के अनुपालन में अंतिम निर्णय 235 (2) और संहिता की धारा 353। यह भी प्रासंगिक है कि

उल्लेख करें कि धारा 354 यह स्पष्ट करती है कि "निर्णय" अभियुक्त को दी गई सजा इसमें शामिल होगी। यह है।

इसलिए, सजा निर्धारित होने के बाद ही पूरा करें।

(जोर दिया गया)

27. इसलिए, के प्रावधानों और निर्णयों के अवलोकन से

इस न्यायालय में, यह स्पष्ट है कि आपराधिक अभियोजन में मुकदमे का समापन यदि यह दोषसिद्धि में समाप्त होता है, तो निर्णय को सभी मामलों में तभी पूर्ण माना जाता है जब दोषी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का लाभ नहीं दिया जाता है। इसी तरह, ऐसे मामले में जहां एक से अधिक आरोपी हैं और यदि उनमें से एक या अधिक को बरी कर दिया जाता है और अन्य को दोषी ठहराया जाता है, तो बरी किए गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा और दोषी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा सजा के साथ समाप्त करना होगा। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के संदर्भ में विचार किया जाएगा, तो [2022] 10 एस. सी. आर. होगा।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एक नए अभियुक्त को बुलाने का निर्णय जो मौजूदा अभियुक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि वे किसी भी स्थिति में दोषी ठहराए जाते हैं। 28. मामले के उस दृष्टिकोण में, यदि न्यायालय को मुकदमे की प्रक्रिया में दर्ज साक्ष्य से पता चलता है कि कोई अन्य व्यक्ति शामिल है, तो

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत अभियुक्त को समन करने की शक्ति हो सकती है

सजा सुनाए जाने से पहले उस प्रभाव के लिए एक आदेश पारित करके प्रयोग किया जाता है और निर्णय सभी मामलों में पूर्ण होता है जिससे मुकदमे को एक निष्कर्ष पर लाया जाता है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचते समय जो बात ध्यान में रखी जानी चाहिए वह है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की उप-धारा (4) की आवश्यकता। उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि विद्वान सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और अतिरिक्त अभियुक्त की उपस्थिति में गवाहों से फिर से पूछताछ की जाएगी। ऐसे मामले में जहां विद्वान सत्र न्यायाधीश धारा के तहत शक्ति का प्रयोग करता है

319 गवाहों के साक्ष्य को दर्ज करने के बाद या दोषसिद्धि का निर्णय सुनाने के बाद लेकिन सजा से पहले दंड प्रक्रिया संहिता

अधिरोपित, वही साक्ष्य जो अभिलेख पर उपलब्ध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 को ध्यान में रखते हुए नए जोड़े गए अभियुक्त के खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता है। आरोपी के खिलाफ, जिसे बाद में तलब किया गया है, एक नया मुकदमा चलाया जाना है। तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन पर विचार करते समय, यदि विद्वत सत्र न्यायाधीश का निर्णय दोषसिद्धि का निर्णय पारित करने से पहले अतिरिक्त अभियुक्त को समन करना है या

सजा पर आदेश पारित करने पर, निर्णय घोषित करके मुकदमे के समापन को रोकने की आवश्यकता होती है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन का निपटारा करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही निर्णय का समापन, या तो अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए जो अदालत के समक्ष थे और उन्हें सजा देने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के समापन से पहले ही दोषसिद्धि और सजा का निर्णय पारित करके किया जा सकता है।

29. यद्यपि सी. आर. पी. सी. की धारा 319 में यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति

उप-धारा (1) के अनुसार समन किए जाने पर अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत न्यायालय को संयुक्त मुकदमा चलाने की उपलब्ध शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यह आवेदन पर विचार करने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश के लिए भी खुला होगा।

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत और अतिरिक्त समन भेजने का निर्णय अभियुक्त, यह भी निर्णय लेने के लिए कि क्या एक संयुक्त मुकदमा चलाया जाना है सुखपाल सिंह खैरा बनाम।

पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

अभियुक्त के खिलाफ पारित किए जा रहे फैसले को स्थगित करके ऐसे अभियुक्त को बुलाने के बाद। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि नए जोड़े गए अभियुक्त के खिलाफ किए जाने वाले नए मुकदमे की अलग से सुनवाई की जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में विद्वान सत्र न्यायाधीश के लिए ऐसा आदेश देने और निर्णय पारित करने के लिए आगे बढ़ने और मुकदमे को समाप्त करने के लिए खुला रहेगा। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अदालत द्वारा या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन पर एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के निर्णय पर विचार किया जाएगा और दोषसिद्धि और सजा के फैसले से पहले निपटा दिया जाएगा, अन्यथा, मुकदमा समाप्त हो जाएगा और अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। चूँकि न्यायालय के पास यह निर्णय लेने की शक्ति उपलब्ध है कि संयुक्त मुकदमा आयोजित करने की आवश्यकता है या नहीं, इसलिए इस न्यायालय ने इस वाक्यांश को, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) में निहित है, "अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है", जैसा कि शशीकांत सिंह (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित निर्देशिका के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, जो हमारी राय में सही दृष्टिकोण है, अभिनिर्धारित करना उचित था।

वह मामला अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इशारा करता है जिसे तलब करने की मांग की जाती है। यदि विभाजन (द्विभाजित) मामले में, उपस्थिति हासिल करने पर फरार अभियुक्त पर मुकदमा शुरू किया जाता है और यदि उसमें दर्ज साक्ष्य में यह किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की ओर इशारा करता है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में विचार किया गया है, तो समन करने की ऐसी शक्ति

अभियुक्त को निश्चित रूप से विभाजित (द्विभाजित) मामले में मुकदमे के समापन से पहले आरोपित किया जा सकता है। 31. इस मुद्दे का विश्लेषण करने और सभी पहलुओं पर उपरोक्त निष्कर्ष निकालने में, हम इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भी आश्वस्त हैं,

राजेन्द्र सिंह बनाम के मामले में। यू. पी. राज्य और

एक अन्य (2007) 7 एस. सी. सी. 378 जिसमें यह सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के उद्देश्य के संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है।

" 20. संहिता की धारा 319 के तहत अदालत को यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान की गई है कि [2022] 10 एस. सी. आर. लाकर समाज के साथ न्याय किया जाए।

उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करें जो किसी अपराध के दोषी हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्यों और उद्देश्यों में से एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। यह है।

उस संदर्भ में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो दोषी प्रतीत होता है, उस अपराध के संबंध में उचित मुकदमे से न बचे। वहाँ भी एक है

अपराध के पीड़ित को न्याय प्रदान करने का कर्तव्य। यह इस बात की मान्यता में है कि संहिता ने विशेष रूप से

अदालत अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो मामले में आरोपी नहीं हैं इस धारा द्वारा निर्धारित परिस्थितियाँ। यह एक सहायक शक्ति है जो इसे सक्षम बनाती है

न्याय में लाने के लिए समाज के प्रति न्यायालय के दायित्व का निर्वहन

वे सभी जो एक अपराध के दोषी हैं।

21. संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग, मेरे विचार में, उसके सामने आने वाले साक्ष्य के आधार पर अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत पर छोड़ दिया जाता है। न्यायालय को संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्त से संतुष्ट होना चाहिए। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कानून में प्रशिक्षित अदालत प्रावधान की सीमा के भीतर शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी और यह तय करेगी कि वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ सकती है या नहीं। उस शक्ति और विवेकाधिकार को या तो असाधारण कहकर या यह कहकर कि इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा, बाधित करने में कोई तर्क नहीं है। इसका उपयोग करने का इरादा है जब अनुभाग द्वारा परिकल्पित अवसर उत्पन्न होता है।

32. हमने बिंदु दर बिंदु विश्लेषण को भी ध्यान में रखा है

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत उपयोग किए जाने वाले उद्देश्य और शक्ति, जैसा कि मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 632 के पैरा 34 में इंगित किया गया है।

33. ऊपर बताए गए सभी कारणों से, हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

" I. क्या निचली अदालत के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की शक्ति है जब अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में मुकदमा समाप्त हो गया है और समन आदेश देने से पहले उसी तारीख को दोषसिद्धि का निर्णय दिया गया है?

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग किया जाना है और

दण्डादेश के आदेश की घोषणा से पहले प्रयोग किया जाता है जहां अभियुक्त को दोषसिद्धि का निर्णय दिया जाता है। बरी होने के मामले में, बरी होने का आदेश घोषित होने से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, समन आदेश को सुखपाल सिंह खैरा बनाम द्वारा मुकदमे के समापन से पहले होना चाहिए।

पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

दोषसिद्धि के मामले में सजा का अधिरोपण। यदि आदेश उसी दिन पारित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर इसकी जांच करनी होगी और यदि ऐसा समन आदेश दोषसिद्धि के मामले में बरी होने या सजा देने के आदेश के बाद पारित किया जाता है, तो यह स्थायी नहीं होगा।

II. क्या निचली अदालत के पास सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत मुकदमे के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने की शक्ति है।

कुछ अन्य फरार अभियुक्तों की (जिनकी उपस्थिति है बाद में सुरक्षित) चल रहा है/लंबित है, जिसे विभाजित किया गया है

मुख्य मुकदमे से?

निचली अदालत के पास अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति है जब फरार आरोपी के संबंध में मुकदमा चलाया जाता है।

अभियुक्त की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए विभाजित (द्विभाजित) मुकदमे में दर्ज साक्ष्य के अधीन उसकी उपस्थिति को समन करने की मांग की गई। लेकिन मुख्य समाप्त मुकदमे में दर्ज साक्ष्य समन आदेश का आधार नहीं हो सकता है यदि इस तरह की शक्ति का उपयोग मुख्य मुकदमे में उसके समापन तक नहीं किया गया है।

III. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सक्षम अदालत को किन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए?

यदि सक्षम न्यायालय को साक्ष्य मिलता है या यदि इसके तहत आवेदन किया जाता है

((i)

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 दोषमुक्ति या सजा पर आदेश पारित करने से पहले मुकदमे में किसी भी स्तर पर दर्ज साक्ष्य के आधार पर अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में दायर की जाती है, यह उस स्तर पर मुकदमे को रोक देगी।

((ख)

इसके बाद न्यायालय पहले आवश्यकता या अन्यथा तय करेगा।

अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करना और उस पर आदेश पारित करना।

यदि न्यायालय का निर्णय के तहत शक्ति का प्रयोग करना है

(iii)

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 और अभियुक्त को समन, जैसे आगे बढ़ने से पहले समन आदेश पारित किया जाएगा।

मुख्य मामले में मुकदमे के साथ।

((iv) यदि अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने का आदेश पारित किया जाता है,

जिस स्तर पर इसे पारित किया जाता है, उसके आधार पर न्यायालय इस तथ्य पर भी अपना मन लगाएगा कि क्या ऐसे समन किए गए अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जाना है या नहीं। अलग से।

(v)

यदि निर्णय संयुक्त परीक्षण के लिए है, तो नया परीक्षण होगा

समन किए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही शुरू किया गया।

(vi) यदि निर्णय यह है कि समन किए गए अभियुक्त पर अलग से मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ऐसा आदेश दिए जाने पर न्यायालय के लिए मुकदमा जारी रखने और समाप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी।

उन अभियुक्तों के खिलाफ जिन पर कार्रवाई की जा रही थी।

(vii) यदि उपरोक्त (i) की तरह रुकी हुई कार्यवाही ऐसे मामले में है जिसमें जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें बरी किया जाना है और निर्णय यह है कि तलब किए गए अभियुक्त पर अलग से नए सिरे से मुकदमा चलाया जा सकता है, तो निर्णय पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी।

मुख्य मामले में बरी होना।

(viii) यदि मुख्य मुकदमे में उसके समापन तक शक्ति का उपयोग या प्रयोग नहीं किया जाता है और यदि कोई विभाजित (द्विभाजित) मामला है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उस प्रभाव का सबूत हो, जो अतिरिक्त आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा करता है जिसे तलब किया जाना है।

विभाजित (द्विभाजित) मुकदमे में।

(ix) यदि, दलीलों की सुनवाई के बाद और मामला निर्णय के लिए आरक्षित है, तो न्यायालय के लिए आह्वान करने का अवसर उत्पन्न होता है और

सी. आर. पी. सी. की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालत के लिए उपयुक्त तरीका यह है कि इसे फिर से स्थापित किया जाए।

सुनना।

(x)

इसे पुनः सुनवाई के लिए निर्धारित करने पर, उपरोक्त निर्धारित किया गया है

समन भेजने के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया; संयुक्त मुकदमा आयोजित करना

या अन्यथा निर्णय लिया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा तदनुसार।

(xi) ऐसे मामले में भी, उस स्तर पर, यदि निर्णय अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने और संयुक्त मुकदमा चलाने का है, तो मुकदमा नए सिरे से चलाया जाएगा और नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी। (xii)

यदि, उस परिस्थिति में, निर्णय समन किए गए अभियुक्त के मामले में एक अलग मुकदमा आयोजित करने का है जैसा कि पहले संकेत दिया गया है;

(क) मुख्य मामले का निर्णय दोषसिद्धि और सजा की घोषणा करके किया जा सकता है और फिर बुलाए गए अभियुक्त के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जा सकती है।

अल सिंह खैरा बनाम। पंजाब राज्य [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

ख) बरी होने के मामले में आदेश मुख्य मामले में उस प्रभाव से पारित किया जाएगा और फिर समन किए गए अभियुक्त के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विंग ने उपरोक्त मनी रजिस्ट्री में संदर्भित प्रश्नों का उत्तर दिया, ताकि माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त किया जा सके और उपयुक्त पीठ को कानूनी स्थिति और गुण-दोष की पृष्ठभूमि में मामले में तथ्य जी पर निर्णय लेने के लिए कहा जा सके।विदा लेने से पहले, हम अदालत की सहायता करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील, मुथु सहित सभी विद्वान वरिष्ठ वकील/वकील द्वारा दिए गए सम्मान के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

यूरिएन।

संदर्भित प्रश्न जवाब दें

रीतम भारती, एलसीआरए)